

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

राज्य के उद्यमियों को उद्यमों की स्थापना एवं संचालन में हो रही कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस को अपराह्न 03.00 बजे से प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार द्वारा उद्योग विभाग, विकास भवन, पटना स्थित सभा कक्ष में **“उद्यमी अदालत”** का आयोजन किया जायेगा। प्रत्येक महीने की 20 तारीख तक प्राप्त आवेदनों पर ‘उद्यमी अदालत’ में विचार किया जायेगा। इस हेतु आवेदन निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित किया जा सकता है। साथ ही ई-मेल idc_bihar@yahoo.co.in पर भी आवेदन उपलब्ध कराया जा सकता है।